

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घुव कुमार सोनी पुत्र राम आधार सोनी नि० ठठेरी मोहल्ला कस्बा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-84/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गीता पत्नी द्वारिका नि० करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-95/21, 02. समयदीन पुत्र रामबक्स नि० बेहलापूरे थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-96/21, 03. धनीराम बरूवार पुत्र भवानी प्रसाद नि० करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-97/21, 04. दयाराम बरूवार पुत्र रामप्रताप बरूवार नि० करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-98/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लाल बाबू उर्फ राजबाबू पुत्र सुन्दर नि० मजहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-97/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हीरालाल पुत्र त्रिभुवन नि० गुलवासपुरवा भुलभुलिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-133/21, 02. अभिमन्यु उर्फ सिर्री पुत्र जगमोहन नि० खलिपुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-134/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

चोरी करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. बुद्धिराम उर्फ कल्लू पुत्र केकई नि० चतुराभीती थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. झिनकू उर्फ दिनेश पुत्र राजू नि० चतुराभीती थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. राजकुमार पुत्र राममिलन नि० बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—301/20, धारा 457.380.411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 अदद पायल सफेद धातु।
02. 2300 रु० नगद।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.11.2020 की रात्रि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी कमलेश कुमार पुत्र स्व० छत्ताराम नि० बनघुसरा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के घर में घुसकर नगदी व जेवरात चोरी करके फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खोड़ारे पुलिस ने प्रकाश में आये उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर खास की सूचना पर आज्ञाघाट पुल से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद पायल सफेद धातु व 2300 रु० नगद बरामद किया गया। अभियुक्तों को थाना खोड़ारे में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

देशी पिस्टल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रमेश उर्फ इन्दू पुत्र अगनू नि० बनघुसरा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—46/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध देशी पिस्टल 7.65 मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 26.03.2021 को थाना खोड़ारे के उ०नि० विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनघुसरा का रमेश उर्फ इन्दू जो अभी जेल से छूटकर आया है अवैध पिस्टल लिये घूम रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी पिस्टल 7.65 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त

के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
02. हे०का० आत्मा सिंह।

अवैध पिस्टल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला उर्फ राहुल पुत्र स्वर्गीय आनंद प्रसाद शुक्ला नि० ग्राम नारायणपुर ग्रंट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—99/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 अदद कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.03.2021 थाना को० मनकापुर के उ०नि० शिवलखन सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम गोहन्ना के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर मय 04 अदद कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० शिवलखन सिंह।
02. हे०का० संतोष सिंह।
03. हे०का० सुरेन्द्र नाथ।
04. हे०का० ओंकार नाथ तिवारी।

अवैध मादक पदार्थ के साथ उ०१ अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय कुमार पुत्र रामलाल कोरी नि० नियावां थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—57/21, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 170 अल्फ्राजोलम टेबलेट।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 26.03.2021 को थाना उमरीबेगमगंज के उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सरोज मय हमराह के साथ क्षेत्रभ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम नियावां जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 170 अल्ट्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सरोज।
02. का0 अमरजीत यादव।
03. का0 धर्मपाल यादव।

अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विजय कुमार बाल्मीकि उर्फ गुड्डू पुत्र भदई नि0 कस्बा करनैलगंज थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—132/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 506 अल्ट्राजोलम टेबलेट।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 26.03.2021 को थाना करनैलगंज के उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्रभ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सी0एच0सी0 तिराह के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 506 अल्ट्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
02. हे0का0 अबरार खॉ।
03. हे0का0 शेख अशफाक आलम।